



दूरभाष :2300355,2301754
TELEPHONE: 2300355,2301754
ई-मेल :ors.gdc.soi@gov.in
E-MAIL :ors.gdc.soi@gov.in
फैक्स : 0674-2301418
FAX : 0674-2301418



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय
ODISHA AND CHHATTISGARH GD
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, SURVEY OF INDIA
सर्वे भवन, SURVEY BHAWAN
पी.ओ.-आर.आर.लैब, P.O.-R.R. LAB.
भुवनेश्वर, BHUBANESWAR-751013

ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय, भुवनेश्वर नेमी आदेश संख्या 02 /37-जी-9(प्रशा)

दिनांक 07 जनवरी,2025.

ODISHA AND CHHATTISGARH GD'S ROUTINE ORDER NO. 02 /37-G-9(Adm.)

DATED 07 January, 2025 .

I. पदोन्नति पर स्थानांतरण / TRANSFER ON PROMOTION

i. DRAFTSMAN DIV-1 TO CHIEF DRAFTSMAN :

Consequent upon transfer on promotion to the post of Chief Draftsman in Level 7 of the Pay Matrix, Smt. Trisha Banerjee, Draftsman of Group 'B' (Non-Gazetted) of West Bengal & Sikkim GD, Kolkata has reported as Chief Draftsman of Group 'B' (Gazetted), on regular basis in Odisha & Chhattisgarh GD, Bhubaneswar, with effect from 16.12.2024

(Authority: SG's letter No. CP-3820/1800(1)(Chief D/Man)(9217) dated 06.12.2024)

यदि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक / सतर्कता मामला लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किया जाए।

The above orders will not be implemented in case of disciplinary/vigilance cases pending against the individual.

उपरोक्त सरकारी कर्मचारी को वेतन नियतन हेतु अपेक्षित इच्छा पत्र अपनी पदोन्नति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा, उपरान्त व्यक्ति को प्रथम एम ए सी पी योजना के अनुदान एफ.आर. 22(1) (ए) (1) का लाभ बढ़ाया गया है अब निर्धारित नियमों के अनुसार पदोन्नति तय कि जाएगी।

The above Govt. Servant is required to exercise an option for fixation of his pay within a month of his promotion and since the individual has been extended the benefit of FR 22 (1)(a)(i) while grant of MACP scheme, the pay will now, on promotion, be fixed as per the prescribed rules.

उपरोक्त अधिकारी से भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून के पत्र सं.सी.पी-3820/1800(1)(Chief D/Man)(9217) दिनांक: 06.12.2024 के साथ सलंगन शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा और रिकॉर्ड के लिए उसकी सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा।

The undertaking received vide SG's letter No. CP-3820/1800(1)(Chief D/Man)(9217) dated 06.12.2024 from the above mentioned officer on her transfer on promotion should be obtained and kept in her service book for record.

-(2)-

उपरोक्त अधिकारी का वेतन नियतन कार्यालयाध्याक्ष द्वारा किया जाएगा ।

The pay of the above officer will be fixed by the Head of Office.

अतिरिक्त सन्निहित व्यय ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जी.डी के वर्ष 2024-25 के संस्वीकृत बजट अनुदान मे से पुरा किया जायेगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नाम मे डाला जायेगा ।

II. पदोन्नति / PROMOTION

इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गए पद पर पदोन्नति प्रदान किया जाता है । उनके नाम के सामने पदोन्नति को तिथि, वेतन मैट्रिक्स के लेवल संख्या भी सूचित किए जाते हैं ।

क्रम संख्या	नाम तथा पदनाम	किस पद पर पदोन्नति हुआ	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	वेतन मैट्रिक्स के लेवल संख्या	प्राधिकार
1.	Shri Navin Kumar, LDC	UDC	17.12.2024	Level-4	भारत के महासर्वेक्षक के पत्रांक No.E2-405/725- Trig(LDCE) (coll.15) दिनांक 17-12-2024

- उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ प्रदान पर, नए वेतनमान मे वेतन निर्धारण करने के लिए FR 22(1)(a)(1) के अधिन अपना विकल्प देना होगा तथा यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी को MACP योजना के अन्तर्गत FR 22(1)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाएगा तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाएगा ।
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय ओडिशा जी.डी.सी के वर्ष 2024-25 के संस्वीकृत बजट अनुदान मे से पूरा किया जायेगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नाम मे डाला जायेगा ।
- उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सर्तकता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है ।

III. संशोधन / CORRIGENDUM

इस कार्यालय की Smt. Malati Devi, MTS के नाम के स्थान पर Smt. Malti Devi, MTS पढ़ा जाए ।

IV. सेवानिवृति / RETIREMENT

क्रम संख्या	नाम तथा पदनाम	सेवानिवृति की तिथि
1.	Shri Ram Deo, MTS	30.11.2024

(आशीष कौशल)

निदेशक

Cont.Pg.No-(3)

- (3) -

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. Web admin महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को इस अनुरोध से सूचनार्थ कि विभागीय Website में नेमी आदेश को दर्शाएँ।
3. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कारवाई हेतु ।